



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 14.01.2026

थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिंग बालिका को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना राजपुर पर दिनांक 04.01.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरी नाबालिंग पुत्री उम्र 16 वर्ष को कोई बहला फुसला कर ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0स0 02/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता/ अपहृता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 87/65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्त समीर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम अनंवा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात आज दिनांक 14.01.2026 को बेहमई पुलिया के पास थाना राजपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. समीर पुत्र जाकिर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम अनंवा थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सनत कुमार
2. उम्रनिःश्वास श्री नीरज कुमार
3. उम्रनिःश्वास श्री जितेन्द्र कुमार
4. हेमंत कुमार 343 संतोष कुमार
5. हेमंत कुमार 399 सुरेन्द्रनाथ